UPHM010002322026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-40/2026
श्रीमती प्रीति बनाम किशोरीलाल प्रजापति

अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना- बिवांर, जिला- हमीरपुर।

16.02.2026

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों सहित अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

आवेदिका श्रीमती प्रीति द्वारा प्रार्थना पत्र 4क/1 समर्थित शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह निवासिनी ग्राम पाटनपुर थाना बिवांर जिला हमीरपुर की रहने वाली है तथा अनुसूचित जाति धोबी है। दिनांक 16/11/2025 को वह अपने पति पंकज के साथ ग्राम पाटनपुर से मजदूरी करने हेतु दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ने हेतु दिन के करीब 03:00 बजे किशोरीलाल प्रजापति के ई-रिक्शा नं० यू०पी०-91ए0टी0-2041 में बैठकर कस्बा मौदहा जा रहे थे। रिक्शे में उसके अलावा विनय, पुष्पेन्द्र जो उन लोगों को बस में बैठालने के लिए साथ में जा रहे थे। किशोरीलाल शराब पिये था, उन लोगों ने उसके रिक्शे में बैठने से इन्कार कर दिया तो वह कहने लगा कि वह सम्भालकर रिक्शा चलाएगा, आप लोग परेशान मत हों, उसने ज्यादा शराब नहीं पी रखी है, उसे पूरा होश है, जिस पर वे लोग रिक्शे में बैठे गये। जैसे ही रिक्शा रोहारी गांव के पास पहुंचा तो उपरोक्त किशोरीलाल ने रिक्शा पलटा दिया, जिससे वह रिक्शे के नीचे दब गयी और अन्य सवारियां नीचे गिर गयीं। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे के बगल वाली उंगली (तर्जनी व मध्यमा) कटकर टूट गयी और खाल कट गयी। उसको किसी तरह पति पंकज मौदहा अस्पताल ले गया, जहां पर प्रारम्भिक उपचार के बाद बांदा रिफर कर दिया गया। उसके पति ने जब किशोरीलाल से कहा कि उसके रिक्शे में वह पहले नहीं बैठ रहा था, उसने जबरन बैठा लिया और रिक्शे को पलटा दिया है, अब तुम उसका इलाज करवाओ, इतना कहने पर रिक्शा चालक किशोरीलाल प्रजापति मां बहन की गालियां देते हुए उसके पति से कहा कि साले धोबी उसके इतने दिमाग खराब हैं कि उससे पैसा मांगते हो और दो चार हाथ मारते हुए कहने लगा कि विधायक उसकी बिरादरी का है, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। उसने अपना उपचार बांदा में करवाया। उसकी आज भी उंगली टूटी हुई है। इस घटना की शिकायतें कई बार कर चुकी है, किन्तु थाना बिवांर पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही ई-रिक्शा चालक के विरुद्ध नहीं की है, लगातार उसको वा उसके पति को कार्यवाही न करने की धमकी देता है और कहता है कि यदि कोई कार्यवाही की तो उसे गांव में नहीं रहने देंगे और जान से मार देंगे। थाना बिवांर द्वारा मुल्जिमान उपरोक्त के विरुद्ध जब कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तब उसने उच्चाधिकारियों को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिये। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से मुल्जिम का मनोबल बहुत बढ़ गया है और खुला ऐलानियां उसको व उसके परिवार को जानमाल की धमकी देते हुए दरवाजे से निकलता है और अभद्रता व छींटाकशी करता है। उसका निकलना चलना मुश्किल हो गया है।उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने का निवेदन किया गया।

आवेदिका श्रीमती प्रीति की ओर से सूची 6ख के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर, डीआईजी बांदा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.04.23 11:30:00 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कागज सं० 7 ख, रजिस्ट्री रसीद कागज सं०–8 ख, मेडिकल प्रपत्र कागज सं०–9 ख/1 लगायत 9 ख/3, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–10 ख/1, पुलिस मण्डलायुक्त बांदा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–10 ख/2, आवेदिका प्रीती का आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं०–11 ख, वकालतनामा राघवेन्द्र शरण त्रिपाठी एडवोकेट का कागज सं०–12 ख, जाति प्रमाणपत्र आवेदिका के पति का कागज सं०–13 ख अभिलेख दाखिल किए गए हैं।

थाना बिवांर, जिला हमीरपुर की आख्या के अनुसार कोई अभियोग उक्त के सम्बन्ध में पंजीकृत न होने की आख्या दी गयी है।

आवेदिका प्रीति पत्नी पंकज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामजद विपक्षी पर दिनांक 16.11.2025 को समय करीब 03:00 बजे उसके पति को जबरन उसके रिक्शे में बैठा लेने तथा रिक्शा पलट जाने पर उसके पति के साथ मां–बहन की गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द साले धोबी कहकर अपमानित करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.11.2025 को समय करीब 03:00 बजे उसके पति को जबरन उसके रिक्शे में बैठा लेने तथा रिक्शा पलट जाने पर उसके पति के साथ मां–बहन की गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द साले धोबी कहकर अपमानित करने तथा मारपीट करने का कथन किया है तथा उक्त घटना में प्रार्थिया की अंगूठे के बगल वाली मध्यमा व तर्जनी अंगुली भी कट कर टूटने का कथन किया है। आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कागज सं०–9 ख/1 लगायत 9 ख/2 चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किए हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का परिलक्षित होता है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य विवेचना के माध्यम से ही प्रकाश में आना संभव है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना कराए जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था मुहम्मद युसुफ बनाम अफाक जहाँ आदि **ए०आई०आर० 2006 (54) एसीसी 530(एसीसी) एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य, 2001 (43) ए०सी०सी० 50 (All) (F.B.) व सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, 2007 (59) ACC 739 (All–D.B.)** में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं प्रकट किए गए विधिक मत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है।

क्षेत्राधिकारी मौदहा हमीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह इस प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों के बाबत मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्राधिकारी मौदहा हमीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह थाना बिवांर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के 24 घण्टे के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांक–16.02.2026

(रनवीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।